

लीज होल्ड से फ्री होल्ड हेतु आवश्यक दस्तावेज की सूची

1. निर्धारित आवेदन पत्र।
2. आबंटिती का शपथ पत्र, उक्त भूखण्ड किसी बैंक/संस्था में बंधक नहीं है, आवासीय प्रयोजन है, अतिरिक्त कब्जा नहीं है के संबंध में।
3. यदि उक्त भूखण्ड बैंक में बंधक है तो बैंक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
4. लीजडीड (रजिस्ट्री) की छायाप्रति।
5. वित्तीय वर्ष 2025-26 का भू-भाटक, सम्पत्तिकर, जलकर जमा रसीद की छायाप्रति।
6. यदि भूखण्ड पर भवन निर्मित नहीं है तो वर्ष 2025-26 तक भवन क्षतिपूर्ति की राशि जमा रसीद।
7. आबंटित भूखण्ड का चारो दिशा से फोटोग्राफ स्वहस्ताक्षरित जिसमें योजना का नाम, स्वयं का नाम, चर्तुःसीमा दर्ज कर प्रस्तुत करें।
8. भवन अनुज्ञा, भवन पूर्णता प्रमाण पत्र/नियमितीकरण की छायाप्रति संलग्न करें।
9. फाईल कवर के साथ उपरोक्त सभी दस्तावेज संलग्न करें।

(आदेशानुसार)

समस्त आवेदन निगम के काउंटर

क्रमांक-02 में जमा करने के पश्चात् स्वीकार किये जायेंगे। अपूर्ण दस्तावेज वाले आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

लीज नवीनीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज की सूची

1. निर्धारित आवेदन पत्र।
2. लीजडीड (रजिस्ट्री) की छायाप्रति।
3. आबंटित भूखण्ड पर अतिरिक्त कब्जा नहीं है एवं भूखण्ड के प्रयोजन के संबंध में शपथ पत्र।
4. उक्त भूखण्ड किसी बैंक/वित्तीय संस्था/अर्द्धशासकीय संस्था में बंधक नहीं है, एवं उक्त भूखण्ड जांच के दायरे में नहीं है के संबंध में शपथ पत्र। यदि बंधक है तो संबंधित बैंक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
5. वित्तीय वर्ष 2025-26 का भू-भाटक, सम्पत्तिकर, जलकर जमा रसीद की छायाप्रति।
6. यदि भूखण्ड पर भवन निर्मित नहीं है तो वर्ष 2025-26 तक भवन क्षतिपूर्ति की राशि जमा रसीद।
7. आबंटित भूखण्ड का चारो दिशा से फोटोग्राफ स्वहस्ताक्षरित जिसमें योजना का नाम, स्वयं का नाम, चर्तुःसीमा दर्ज कर प्रस्तुत करें।
8. भवन अनुज्ञा, भवन पूर्णता प्रमाण पत्र/नियमितीकरण की छायाप्रति संलग्न करें।
9. गुमास्ता एवं अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
10. फाईल कवर के साथ उपरोक्त सभी दस्तावेज संलग्न करें।
(आदेशानुसार)

समस्त आवेदन निगम के काउंटर

क्रमांक-02 में जमा करने के पश्चात् स्वीकार किये जायेंगे। अपूर्ण दस्तावेज वाले आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

हस्तान्तरण/नामान्तरण हेतु आवश्यक दस्तावेज की सूची

1. निर्धारित आवेदन पत्र।
2. क्रेता का शपथ पत्र फोटो, आधार कार्ड।
3. विक्रेता का शपथ पत्र फोटो, आधार कार्ड।
4. बिक्रीनामा/इकरारनामा
5. लीजडीड की मूलप्रति/सत्यापित प्रति।
6. उक्त भूखण्ड किसी बैंक/वित्तीय संस्था/अर्द्धशासकीय संस्था में बंधक नहीं है, एवं उक्त भूखण्ड जांच के दायरे में नहीं है के संबंध में शपथ पत्र। यदि बंधक है तो संबंधित बैंक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
7. वित्तीय वर्ष 2025-26 का भू-भाटक, सम्पत्तिकर, जलकर जमा रसीद की छायाप्रति।
8. यदि भूखण्ड पर भवन निर्मित नहीं है तो वर्ष 2025-26 तक भवन क्षतिपूर्ति की राशि जमा रसीद।
9. आबंटित भूखण्ड का चारो दिशा से फोटोग्राफ स्वहस्ताक्षरित।
10. भवन अनुज्ञा, भवन पूर्णता प्रमाण पत्र/नियमितीकरण की छायाप्रति।
11. ईशतहार प्रकाशन शुल्क जमा राशि के रसीद की छायाप्रति।
12. फाईल कवर के अंदर उपरोक्त सभी दस्तावेज संलग्न करें।
(आदेशानुसार)

समस्त आवेदन निगम के काउंटर

क्रमांक-02 में जमा करने के पश्चात् स्वीकार किये जायेंगे। अपूर्ण दस्तावेज वाले आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

वारिसान नामान्तरण हेतु आवश्यक दस्तावेज की सूची

1. आवेदन पत्र।
2. सभी वारिसों का शपथ पत्र, आधारकार्ड, सभी वारिसों के लिए 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर फोटो सहित नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर तथा अन्य वारिस नही होने का उल्लेख भी करावें।
3. लीजडीड की मूलप्रति।
4. मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
5. उक्त भूखण्ड किसी बैंक/वित्तीय संस्था/अर्द्धशासकीय संस्था में बंधक नहीं है, एवं उक्त भूखण्ड जांच के दायरे में नहीं है के संबंध में शपथ पत्र। यदि बंधक है तो संबंधित बैंक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
6. वित्तीय वर्ष 2025-26 का भू-भाटक, सम्पत्तिकर, जलकर जमा रसीद की छायाप्रति।
7. यदि भूखण्ड पर भवन निर्मित नहीं है तो वर्ष 2025-26 तक भवन क्षतिपूर्ति की राशि जमा रसीद।
8. आबंटित भूखण्ड का चारो दिशा से फोटोग्राफ स्वहस्ताक्षरित।
9. भवन अनुज्ञा, भवन पूर्णता प्रमाण पत्र/नियमितीकरण की छायाप्रति।
10. ईशतहार प्रकाशन शुल्क जमा राशि के रसीद की छायाप्रति।
11. फाईल कवर के अंदर उपरोक्त सभी दस्तावेज संलग्न करें
(आदेशानुसार)

समस्त आवेदन निगम के काउंटर

क्रमांक-02 में जमा करने के पश्चात् स्वीकार किये जायेंगे। अपूर्ण दस्तावेज वाले आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

लीज होल्ड से फ्री होल्ड

1. निर्धारित आवेदन पत्र।
2. आबंटिती का शपथ पत्र, उक्त भूखण्ड किसी बैंक/संस्था में बंधक नहीं है, आवासीय प्रयोजन है, अतिरिक्त कब्जा नहीं है के संबंध में।
3. यदि उक्त भूखण्ड बैंक में बंधक है तो बैंक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
4. लीजडीड (रजिस्ट्री) की छायाप्रति।
5. वित्तीय वर्ष 2025-26 का भू-भाटक, सम्पत्तिकर, जलकर जमा रसीद की छायाप्रति।
6. यदि भूखण्ड पर भवन निर्मित नहीं है तो वर्ष 2025-26 तक भवन क्षतिपूर्ति की राशि जमा रसीद।
7. आबंटित भूखण्ड का चारो दिशा से फोटोग्राफ स्वहस्ताक्षरित जिसमें योजना का नाम, स्वयं का नाम, चर्तुःसीमा दर्ज कर प्रस्तुत करें।
8. भवन अनुज्ञा, भवन पूर्णता प्रमाण पत्र/नियमितीकरण की छायाप्रति संलग्न करें।

लीज नवीनीकरण

1. निर्धारित आवेदन पत्र।
2. लीजडीड (रजिस्ट्री) की छायाप्रति।
3. आबंटित भूखण्ड पर अतिरिक्त कब्जा नहीं है एवं भूखण्ड के प्रयोजन के संबंध में शपथ पत्र।
4. उक्त भूखण्ड किसी बैंक/वित्तीय संस्था/अर्द्धशासकीय संस्था में बंधक नहीं है, एवं उक्त भूखण्ड जांच के दायरे में नहीं है के संबंध में शपथ पत्र। यदि बंधक है तो संबंधित बैंक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
5. वित्तीय वर्ष 2025-26 का भू-भाटक, सम्पत्तिकर, जलकर जमा रसीद की छायाप्रति।
6. यदि भूखण्ड पर भवन निर्मित नहीं है तो वर्ष 2025-26 तक भवन क्षतिपूर्ति की राशि जमा रसीद।
7. आबंटित भूखण्ड का चारो दिशा से फोटोग्राफ स्वहस्ताक्षरित जिसमें योजना का नाम, स्वयं का नाम, चर्तुःसीमा दर्ज कर प्रस्तुत करें।
8. भवन अनुज्ञा, भवन पूर्णता प्रमाण पत्र/नियमितीकरण की छायाप्रति संलग्न करें।
9. गुमास्ता एवं अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

हस्तान्तरण/नामान्तरण हेतु

1. निर्धारित आवेदन पत्र।
2. क्रेता का शपथ पत्र फोटो, आधार कार्ड।
3. विक्रेता का शपथ पत्र फोटो, आधार कार्ड।
4. बिक्रीनामा/इकरारनामा
5. लीजडीड की मूलप्रति/सत्यापित प्रति।
6. उक्त भूखण्ड किसी बैंक/वित्तीय संस्था/अर्द्धशासकीय संस्था में बंधक नहीं है, एवं उक्त भूखण्ड जांच के दायरे में नहीं है के संबंध में शपथ पत्र। यदि बंधक है तो संबंधित बैंक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
7. वित्तीय वर्ष 2025-25 का भू-भाटक, सम्पत्तिकर, जलकर जमा रसीद की छायाप्रति।
8. यदि भूखण्ड पर भवन निर्मित नहीं है तो वर्ष 2025-26 तक भवन क्षतिपूर्ति की राशि जमा रसीद।
9. आबंटित भूखण्ड का चारो दिशा से फोटोग्राफ स्वहस्ताक्षरित।
10. भवन अनुज्ञा, भवन पूर्णता प्रमाण पत्र/नियमितीकरण की छायाप्रति।
11. ईशतहार प्रकाशन शुल्क जमा राशि के रसीद की छायाप्रति।

वारिसान नामान्तरण हेतु

1. आवेदन पत्र।
2. सभी वारिसों का शपथ पत्र, आधारकार्ड, सभी वारिसों के लिए 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर फोटो सहित नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर तथा अन्य वारिस नही होने का उल्लेख भी करावें।
3. लीजडीड की मूलप्रति।
4. मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
5. उक्त भूखण्ड किसी बैंक/वित्तीय संस्था/अर्द्धशासकीय संस्था में बंधक नहीं है, एवं उक्त भूखण्ड जांच के दायरे में नहीं है के संबंध में शपथ पत्र। यदि बंधक है तो संबंधित बैंक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
6. वित्तीय वर्ष 2025-26 का भू-भाटक, सम्पत्तिकर, जलकर जमा रसीद की छायाप्रति।
7. यदि भूखण्ड पर भवन निर्मित नहीं है तो वर्ष 2025-26 तक भवन क्षतिपूर्ति की राशि जमा रसीद।
8. आबंटित भूखण्ड का चारो दिशा से फोटोग्राफ स्वहस्ताक्षरित।
9. भवन अनुज्ञा, भवन पूर्णता प्रमाण पत्र/नियमितीकरण की छायाप्रति।
10. ईशतहार प्रकाशन शुल्क जमा राशि के रसीद की छायाप्रति।